Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Vol. 13, Issue 1 | May 2025 - October 2025 | pp. 75-81

बेहतर भारत के लिए विपक्ष की भूमिका : 2014 से वर्तमान तक

Research Reinforcement ISSN 2348-3857

योगेश नैन

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर (राजस्थान)

प्रो. नरेन्द्र नाथ

विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर (राजस्थान)

शोध सारांश

संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल की पारस्परिक जवाबदेही तथा विचार विमर्श की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। विपक्ष लोकतंत्र का एक आधारभूत स्तंभ माना जाता है जिसका मुख्य कार्य सरकार की नीतियों व कार्यों की जाँच करना, पारदर्शिता, जबावदेही सुनिश्चित करना है। स्वतंत्रता के बाद भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। जहाँ सत्तारूढ़ दल के साथ-साथ विपक्ष को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया और विपक्ष हमेशा प्रभावशाली भूमिका निभाता रहा। आज वर्तमान सरकार की प्रोएक्टिव नीतियों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की सॉफ्ट पॉवर में वृद्धि होने के साथ देश के भीतर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और पर्यावरणीय विकास हुआ है। बेहतर भारत के निर्माण में आज जितना योगदान सत्तारूढ़ दल का माना जाएगा उतना ही महत्वपूर्ण योगदान विपक्ष का भी होना चाहिए। आज सरकार की नीतियों व कार्यों की रचनात्मक आलोचना करना, सामाजिक कल्याण एवं जनहित से जुड़े मुद्दों को सरकार तक पहुँचाना, युवाओं के बेहतर भविष्य से जुड़े मुद्दों को उठाना आदि के माध्यम से विपक्ष एक बेहतर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह शोध पत्र इसी संदर्भ में वर्ष 2014 से वर्तमान सत्तापक्ष और विपक्ष की भूमिका में आए परिवर्तनों का संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की दृष्टि से गुणावगुण के आधार पर आकलन करेगा।

संकेताक्षर—*भारतीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, वर्तमान सरकार, प्रो-एक्टिव नीतियां, समावेशी राजनीति*

प्रस्तावना

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सफलता में जितना सुदृढ़ सत्तारूढ़ राजनीतिक दल आवश्यक है उतना ही रचनात्मक, विवेकवान और प्रभावी विपक्ष भी आवश्यक है। भारत जैसे विशाल एवं विविधतापूर्ण लोकतांत्रिक देश में एक सशक्त विपक्ष सरकार के कार्यों की निगरानी, नीतियों की आलोचना और रचनात्मक सुझाव देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्ष 2014 में भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव आया जहाँ किसी भी राजनीतिक दल को निर्धारित विपक्ष के नेता के मानदंड के अनुसार 10 प्रतिशत सीटें भी प्राप्त नहीं हुई। इस काल में भारतीय राजनीति का संचालन आधिकारिक विपक्ष के बिना ही किया गया। इस अवधि में विपक्ष के अस्तित्व के संकट के बावजूद विपक्ष की सक्रियता भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद भारत में विकास की नई गति देखी गई। जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की सॉफ्ट पॉवर में वृद्धि होने के साथ साथ डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्किल डवलपमेंट प्रोग्राम, जीएसटी, नोट बंदी कानून, कृषि कानून, अनुच्छेद 370 हटाना, नागरिकता संशोधन कानून, तीन तलाक कानून, नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटीजन आदि कई सुधार शामिल है। हालाँकि विपक्ष के नेता का पद ख़ाली होने और विपक्ष की संख्या बल कम होने के बावजूद विपक्ष ने सरकार द्वारा बनायी गई जनविरोधी नीतियों व कानूनों की आलोचना कर सरकार

को जवाबदेह बनाने का प्रयास किया, साथ ही संसद में बहस, विरोध प्रदर्शन, जनांदोलन और न्यायिक हस्तक्षेप के माध्यम से प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभाई।

यह शोध-पत्र स्वतंत्रता के बाद से वर्तमान तक विपक्ष की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण करेगा और एक बेहतर भारत के निर्माण में विपक्ष के योगदान का अवलोकन किया जाएगा। भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में विपक्ष की भूमिका का मूल्यांकन करना अति आवश्यक है। यह शोध न केवल विपक्ष की भूमिका का विश्लेषण करेगा बल्कि यह भी जाँचेगा कि बेहतर भारत के निर्माण में विपक्ष एक बाधा बना या उत्प्रेरक।

सैद्धांतिक अवधारणा

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का मुख्य आधार स्तंभ विपक्ष को माना जाता है। इस शासन व्यवस्था की सफलता के लिए जितनी सत्तारूढ़ राजनीतिक दल की मजबूती आवश्यक है, उतनी ही रचनात्मक, विवेकवान एव प्रभावी विपक्ष की भूमिका भी अत्यावश्यक है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का चुनाव विधायिका से किया जाता है तथा कार्यपालिका विधायिका के प्रति निरंतर उत्तरदायी होती है। इस शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं में सामूहिक उत्तरदायित्व, कार्यपालिका एवं विधायिका का घनिष्ठ सम्बन्ध, विपक्ष की उपस्थिति आदि महत्वपूर्ण मानी जाती है। संसदीय शासन व्यवस्था बहुमत की सरकार और संगठित विपक्ष दोनों पर आधारित होती है जहाँ सत्ता पक्ष जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है तो विपक्ष उस सत्ता पर निगरानी रखने, जनता की समस्याओं को उठाने और वैकल्पिक नीतियाँ प्रस्तुत करने का दायित्व निभाता है। वॉल्टर बैजहॉट के शब्दों में, "संसदीय शासन की आत्मा केवल सरकार में नहीं बल्कि विपक्ष की सक्रियता में भी निहित है।"[1]

विपक्ष से अभिप्राय सामान्यतः उन राजनीतिक दलों और सांसदों के समूह से है जो सत्ता पक्ष में नहीं हैं और सरकार की नीतियों व कार्यों पर प्रश्न उठाते हैं। लोकतंत्र में विपक्ष की आवश्यकता सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना, जनता के विविध वर्गों का प्रतिनिधित्व करना, लोकतंत्र को बहुमतवाद से बचाना, सत्ता परिवर्तन के लिए वैकल्पिक सरकार प्रस्तुत करना आदि कारणों से होती है। रॉबर्ट डहल के शब्दों में, "लोकतंत्र में विपक्ष केवल सहन नहीं किया जाता, बल्कि वह अनिवार्य है, क्योंकि केवल संगठित विपक्ष ही सरकार के विकल्प प्रस्तुत कर सकता है।"[2] जॉन स्टुअर्ट मिल के शब्दों में, "वास्तविक लोकतंत्र तभी संभव है जब विरोधी विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया जाए।"[3] अरेंज लिजफर्ड के शब्दों में, "प्रभावी विपक्ष सहमति-आधारित लोकतंत्रों की आधारशिला है जो बहुमत के शासन और अल्पसंख्यक के अधिकारों के बीच संतुलित करता है।"[4]

विपक्ष की आधिकारिक उत्पत्ति ब्रिटेन में वर्ष 1689 के 'बिल ऑफ़ राइट्स' में संसद की प्रधानता से हुई जिसमें व्हिग और टोरी धड़ों की प्रतिस्पर्धा से सरकार बनाम प्रतिद्वंदी समूह की वैधता को जन्म दिया। यही आगे चलकर विपक्ष की संस्थागत पहचान बना। सर्वप्रथम आधिकारिक विपक्ष की अवधारणा का विकास ब्रिटेन में हुआ जब वर्ष 1937 में लीडर ऑफ अपोजिशन को औपचारिक मान्यता देते हुए वेतन और भत्ते मिलने लगे।[5] जी.सारटोरी के शब्दों में, "लोकतंत्र की संभावना ही विपक्ष की संस्थागत भूमिका पर निर्भर करती है।"[6]

संसदीय शासन प्रणाली में राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सुदृढ़ सरकार और सुदृढ़ विपक्ष के रूप में अधिक सार्थक भूमिका निभाते हैं। इस शासन व्यवस्था में सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल की पारस्परिक जवाबदेही तथा विचार-विमर्श की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। विपक्ष लोकतंत्र का एक आधारभूत स्तंभ माना जाता है जिसका मुख्य कार्य सरकार की नीतियों व कार्यों की जाँच करना, पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करना है। यदि विपक्ष संगठित न हो तो सरकार की नीतियों, कार्यों की जाँच व आलोचना प्रभावी रूप से नहीं कर सकता। डेविड फॉन्टाना के शब्दों में, "विपक्ष शासन की शक्ति को सीमित करता है और कम लागत पर लोकतंत्र को सुदृढ़ करता है।"[7] संसदीय शासन प्रणाली में स्थायी सरकार व प्रभावी विपक्ष के पीछे गठबंधन की राजनीति प्रभावशाली बनती जा रही है। इस गठबंधन की राजनीति में दो या दो से अधिक राजनीतिक दल सरकार के अंदर या विपक्ष के रूप में संगठन का निर्माण करते हैं।

स्वतंत्रता के बाद भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। जहाँ सत्तारूढ़ दल के साथ-साथ विपक्ष को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया और विपक्ष हमेशा प्रभावशाली भूमिका निभाता रहा। भारत के राजनीतिक परिदृश्य में दलीय व्यवस्था का स्वरूप भारतीय राजनीति के मुख्य निर्धारक रूपों में प्रमुख है। भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था को अपनाया जिसमें

ISSN 2348-3857

राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दल व्यापक भूमिका निभाते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति में विपक्ष की स्थिति सदैव विभक्त एवं अशक्त राजनीतिक दल की रही है। राजनीतिक दलों का अस्तित्व एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था, क्षेत्रीय एवं संकुचित हितों पर आधारित रहा। विपक्षी दलों में टूट-फूट के कारणों को स्पष्ट करते हुए मोरिश जोंस ने कहा कि, "उनमें पारस्परिक सामाजिक सहयोग का अभाव है तथा दलों के अग्रगामी नेता बिना शक्ति भी अपनी टुकड़ियों के नेता बने रहना चाहते हैं एवं एक विस्तृत समूह में कार्य नहीं करना चाहते।"[8]

भारत में विपक्ष की भूमिका : ऐतिहासिक स्वरूप

वर्ष 2014 से वर्तमान तक का समय भारतीय लोकतंत्र के लिए एक असंतुलन का काल कहा जा सकता है जिसमें एक ओर मोदी सरकार अपनी निर्णायक और साहसी नीतियों के लिए जानी गई, वहीं दूसरी और विपक्ष लगातार ख़ुद को पुनर्गठित करने के प्रयास में लगा हुआ है। भारत में राजनीतिक दलों का उद्भव राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि में देखा जा सकता है जहाँ राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन से मुक्ति तथा सामाजिक सुधार रहा। स्वतंत्रता से पहले देश में जस्टिस पार्टी, लोक प्रजा पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, फॉरवर्ड ब्लॉक, साम्यवादी दल, स्वराज दल आदि अनेक दल विद्यमान थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा साम्यवादी दल मुख्य भूमिका में रहे। रजनी कोठारी के अनुसार, "कांग्रेस संगठन चुनाव लड़ने के उद्देश्य से नहीं, विदेशी शासन के विरोध के लिए किया गया था और इसे जनता में फैलाने के साथ-साथ विभिन्न विचारधाराओं और हितों को भी इसमें लाने का प्रयत्न किया।"[9] स्वतंत्रता के बाद देश में अनेक राजनीतिक दलों 1949 में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK), 1950 में जयप्रकाश नारायण का भारतीय साम्यवादी दल, 1951 में जनसंघ, 1952 प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, 1959 में स्वतंत्र पार्टी आदि का गठन हुआ।[10] स्वतंत्रता के बाद पहले आम चुनाव में 489 स्थानों पर 14 राष्ट्रीय दलों और 39 राज्य दलों ने भाग लिया। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 489 सीटों में से 364 सीटें प्राप्त की, वहीं दूसरे स्थान पर 16 सीटों पर विजय प्राप्त कर भारतीय साम्यवादी दल (CPI) मुख्य विपक्षी दल बना। इस चुनाव बाद संसद में विपक्ष की भूमिका नगण्य रूप में थी। दूसरे (1957) और तीसरे (1962) लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का ही दबदबा रहा। कांग्रेस ने तीन-चौथाई स्थानों पर विजय प्राप्त की। इन चुनावों के उपरांत विपक्ष की स्थिति संख्या बल में कम और भूमिका अप्रभावी रही। भारतीय राजनीति में 1947-1967 तक के काल में भारतीय दलीय व्यवस्था को मॉरिश जॉन्स ने 'एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था'[11] और रजनी कोठारी ने 'कांग्रेस व्यवस्था'[12] कहा। चतुर्थ लोकसभा चुनाव (1967) से देश की दलीय राजनीति में एक एतिहासिक परिवर्तन आया। इस चुनाव में विपक्षी दलों ने प्रभावी प्रदर्शन कर पहली बार 'कांग्रेस प्रणाली' के प्रभुत्व को चुनौती दी। इस चुनाव में कांग्रेस पहली बार कुल 520 सीटों में 40.78 प्रतिशत वोट के साथ 283 सीटों पर सिमट गई। इस चुनाव में विपक्षी दलों (कांग्रेस विरोधी दलों) ने एक होकर गैर-कांग्रेसी मोर्चा बनाकर भाग लिया। राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को 'गैर-कांग्रेसवाद' का नाम दिया।[13] इन चुनाव परिणामों को भारतीय राजनीति में 'राजनीतिक भूकंप' की संज्ञा दी जाती है। राजगोपालाचारी ने इस चुनाव परिणामों के बाद कहा कि, "भारत का राजनीतिक हिमखंड पिघल चुका है और देश का वास्तविक राजनीतिक विकास वास्तव में आरंभ हो गया है।"[14] इस लोकसभा चुनाव पश्चात देश में दलीय व्यवस्था न तो एक दल के प्रभुत्वता वाली व्यवस्था थी और न ही स्पष्ट रूप से बहुदलीय।

पाँचवीं लोकसभा चुनाव (1971) के परिणामों ने विपक्षी दलों के प्रभाव को कम किया। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कुल 518 सीटों में से 352 सीटों पर विजय प्राप्त कर एक बार फिर एक दल प्रभुत्व के रूप में उभरी। इस चुनाव में विपक्षी दल बिखरे हुए एवं अप्रभावित नजर आए। छठी लोकसभा चुनाव (1977) भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। जब पहली बार बिखरे हुए और अप्रभावी विपक्षी दलों ने सत्ता प्राप्ति की ओर सबसे बड़े सत्तारूढ़ दल कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में विपक्षी दलों के गठबंधन जनता पार्टी ने कुल 542 सीटों में से 41.32 प्रतिशत वोट के साथ 295 सीटों पर विजय प्राप्त की। वहीं देश की सबसे बड़ी एक दल प्रभुत्व वाली कांग्रेस पार्टी महज 154 सीटों पर पर सिमट गई। इस चुनाव से लोकतांत्रिक राजनीति में बड़ा परिवर्तन आया जिसमें पहली बार सबसे बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस के बिना केंद्र सरकार का गठन हुआ। इस चुनाव में पहली बार एक मजबूत और प्रभावी विपक्ष का भी उदय हुआ। 7वीं लोकसभा के चुनाव मध्यावधि चुनाव के

रूप में जाने जाते हैं। इस चुनाव परिणाम ने सत्तारूढ़ गठबंधन दलों को एक बार फिर हाशिये पर धकेल दिया। इसमें छठी लोकसभा में विपक्ष की भूमिका निभाने वाली कांग्रेस पार्टी को 42.69 प्रतिशत वोट के साथ 353 सीटों पर विजय प्राप्त कर सत्ता में वापसी की और विपक्ष के रूप में असंगठित दल उभरकर आए।

आठवीं लोकसभा चुनाव (1984) इंदिरा गांधी की हत्या के कारण भावनात्मक एवं सहानुभूति की लहर पर लड़ा गया। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अब तक की सर्वाधिक 49 प्रतिशत वोट के साथ 404 सीटों पर जीत मिली जो अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी थी। इस चुनाव में विपक्षी दल पूरी तरह से विफल रहे और पहली बार किसी क्षेत्रीय दल तेलगु देशम पार्टी (TDP) को (28 सीटें) लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा दिया गया।[15] नवीं लोकसभा चुनाव (1989) में किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इससे निर्वाचन में कुल 529 सीटों में से सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी को 197 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। सर्वाधिक सीटें होने के बावजूद कांग्रेस ने सरकार का गठन नहीं कर विपक्ष के रूप में रहने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय मोर्चे के गठबंधन ने बहुमत प्राप्त कर सरकार का गठन किया। इस चुनाव में कांग्रेस ने प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभाई और राजीव गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बने। वर्ष 1991-1998 तक का काल राजनीतिक अस्थिरता तथा गठबंधन सरकारों के युग की शुरुआत का रहा। इस काल में सरकारें अस्थिर तथा कमजोर रही, वहीं विपक्षी दल सुदृढ़ और प्रभावी बनकर उभरा। ग्यारहवीं लोकसभा के काल में तीन प्रधानमंत्रियों अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवगौड़ा, आई.के. गुजराल ने शपथ ली। इस काल में भारत की सबसे अल्पकालीन सरकार केवल 13 दिन (16 मई से 1 जून 1996) की अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी।

वर्ष 1999 से 2004 तक पहली स्थिर गठबंधन सरकार का गठन भाजपा के नेतृत्व में एनडीए के द्वारा किया गया। इस काल में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस प्रभावी भूमिका में रही। वर्ष 2004-2014 तक के काल में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी। इस काल में भाजपा प्रमुख विपक्षी दल बनकर अधिक सक्रियता से उभरकर सामने आयी। इस काल में भाजपा ने सरकार को घेरने के लिए अनेक राजनीतिक मुद्दों 2G स्पैक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, महँगाई आदि पर विरोध की उग्र नीतियां अपनायीं। इस काल में विपक्ष सुदृढ़ और अधिक प्रभावशाली बनकर उभरा।

भारत में विपक्ष की भूमिका : 2014 से वर्तमान तक

सोलहवीं लोकसभा चुनाव (2014) भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इस चुनाव में पहली बार किसी गैर-कांग्रेसी दल भाजपा को 282 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिला, वहीं देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित सत्तारूढ़ कांग्रेस 19.3 प्रतिशत वोटों के साथ केवल 44 सीटों पर सिमट गई। इस चुनाव में पहली बार कांग्रेस पार्टी को 10 प्रतिशत से भी कम सीटें प्राप्त हुई। 17वीं लोकसभा चुनाव (2019) भी एक ऐतिहासिक चुनाव रहा जिसमें अब तक का सबसे अधिक मतदान 67.11 प्रतिशत हुआ। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 37.36 प्रतिशत वोटों के साथ पहली बार अब तक की सर्वाधिक 303 सीटों पर विजय प्राप्त की। इस चुनाव में विपक्षी दल कांग्रेस एक बार फिर 10 प्रतिशत सीटें भी प्राप्त करने में नाकाम रही और 52 सीटों पर सिमट गई। 16वीं और 17वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम अपने आप में अनूठा रहा जिसमे किसी भी विपक्षी दल द्वारा आधिकारिक विपक्ष के लिए निर्धारित मानदंड (10 प्रतिशत सीटें) पूरा नहीं कर सका। इसी कारण इन दोनों लोकसभाओं में कोई भी आधिकारिक विपक्ष का नेता नियुक्त नहीं किया जा सका।

भारत की संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। देश में संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुखों की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति का सदस्य विपक्ष का नेता होता है जिनमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त केंद्रीय सूचना आयुक्त, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, सी.बी.आई. के निदेशक आदि की नियुक्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त विपक्ष का नेता संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, सार्वजनिक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति तथा अन्य संयुक्त समितियों का सदस्य भी होता है। पिछले एक दशक में लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद खाली होने और कमजोर विपक्ष के कारण लोकसभा में लोकतांत्रिक संतुलन प्रभावित हुआ और सरकार की जवाबदेही घटी।

कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले पर्याप्त समीक्षा के बिना एवं संसदीय समिति के पास भेजे बिना ही पारित हुए। इसमें आधार अधिनियम 2016, वित अधिनियम 2017, गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) विधेयक 2017, अनुच्छेद 370 निरस्तीकरण और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम (सी.सी.ए.) 2019, तीन तलाक विधेयक 2019, कृषि कानून 2020 आदि प्रमुख थे।

वर्ष 2015 में मोदी सरकार द्वारा नया भूमि अधिग्रहण बिल (2015) लाया गया जो व्यापक रूप से किसानों के हितों के खिलाफ था। यह पहला बड़ा अवसर था जब विपक्ष ने सड़क से लेकर संसद तक सरकार के इस बिल को चुनौती दी और अंततः सरकार को पीछे हटना पड़ा। विपक्ष ने इस काल में अपनी एकजुटता तथा सक्रियता से सरकार के द्वारा पारित नोटबंदी (2016), जीएसटी (2017) कानून के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष द्वारा वर्ष 2018 में राफेल डील विवाद तथा सरकार पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एकजुट होकर संसद में मोदी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। वर्ष 2019 में सरकार द्वारा लाये गए सीसीए और एनआरसी बिल को विपक्ष द्वारा संविधान की धर्मनिरपेक्षता की मूल भावना के खिलाफ बता सरकार के इस फैसले का विरोध किया। वर्ष 2020-21 में मोदी सरकार द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों को संसद में विपक्ष ने कृषि किसान विरोधी बताया तथा किसानों के समर्थन में इन कानूनों का व्यापक रूप से विरोध किया, अंततः नवंबर 2021 में मोदी सरकार को मजबूरन इन कानूनों को वापस लेना पड़ा जो कि विपक्ष एवं जन आंदोलन की सबसे बड़ी संयुक्त जीत रही। वर्ष 2021 में भारत सरकार द्वारा पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर पत्रकारों, विपक्षी दलों के नेताओं की जासूसी करवाने के मुद्दे पर विपक्ष ने मोदी सरकार का संसद में जोरदार विरोध किया तथा विपक्ष ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया।

विपक्ष ने अपनी एकजुटता तथा सक्रियता के लिए वर्ष 2023 में 26 राजनीतिक दलों ने मिलकर 'INDIA' गठबंधन का गठन किया। विपक्ष को एकजुट करने तथा जनता से सीधा संवाद बनाने के लिए राहुल गांधी की वर्ष 2022 की कन्याकुमारी (तमिलनाडु) से श्रीनगर (जम्मू एण्ड कश्मीर) तक की 'भारत जोड़ो यात्रा' और वर्ष 2024 में इंफाल (मणिपुर) से मुंबई (महाराष्ट्र) तक की 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' अत्यंत महत्वपूर्ण रही।

स्वतंत्रता के बाद से वर्तमान तक केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य विवाद का एक प्रमुख कारण राज्यपाल के पद का दुरुपयोग रहा है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्याय निर्णय में माना कि विपक्ष शासित राज्यों में ही राज्यपाल की शक्तियों का दुरुपयोग होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल वाद में ऐतिहासिक फैसला देते हुए राज्यपालों द्वारा लंबित विधेयकों पर फैसला लेने की समय सीमा तीन महीने निश्चित करते हुए कहा कि गवर्नर के पास वीटो पावर नहीं है और राज्यपाल किसी पार्टी के प्रतिनिधि नहीं बन सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय जहां एक ओर केंद्र सरकार और राज्यपालों की शक्तियों को सीमित करता है वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य सरकारों की शक्तियों में वृद्धि करता है। हाल ही में विपक्षी दलों द्वारा सरकार को जातिगत जनगणना, भारत-पाकिस्तान युद्ध में यू.एस.ए. के दबाव में सीजफायर करने के मुद्दे, अमेरिका द्वारा भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ाने के विरुद्ध सरकार की नीतिगत विफलता आदि मुद्दों पर लगातार प्रभावी रूप से सरकार को घेरने की नीति अपनाई है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार और लगातार 30 दिन हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाने के प्रावधान वाले बिल संविधान (130वाँ संशोधन) बिल 2025, संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) बिल 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल 2025 लोकसभा में प्रस्तुत किए। जहाँ केंद्र सरकार इन बिलों का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक भ्रष्टाचार को खत्म करने और राजनीति में शुचिता लाने के रूप में प्रस्तुत किया है वहीं विपक्षी दलों द्वारा इसका विरोध लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के हथियार के रूप में प्रयोग करने तथा विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को मुख्य रूप से निशाना बनाने वाले के रूप में किया।

बेहतर भारत के निर्माण में विपक्ष की भूमिका

वर्तमान में भारत एक तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के साथ सामाजिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है इसमें विपक्ष की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। विपक्ष केवल सरकार का विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र को जीवंत और प्रभावी बनाए रखने के लिए भी अनिवार्य है।

बेहतर भारत के निर्माण में विपक्ष निम्न भूमिका निभा सकता है—

- विपक्ष संसद में कानून निर्माण और नीति निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विपक्ष संसद में बहस और समितियों के माध्यम से सरकार के फैसलों की समीक्षा कर आवश्यक सुधारों को का सुझाव दे सकता है। जैसे नोटबंदी (2016), जीएसटी बिल (2017), कोविड-19 प्रबंधन (2020-2021), महँगाई को कम करने, रोजगार सृजन और महिला आरक्षण आदि में विपक्ष द्वारा समय-समय पर सरकार को आवश्यक सुझाव दिए।
- विपक्ष सरकार के कार्यों की निगरानी रखने और जवाबदेही तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विपक्ष संसद में प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जैसे संसदीय उपकरणों के माध्यम से सरकार से सीधे प्रश्न पूछ सकता है।
- विपक्ष जानता के विभिन्न मुद्दों को सरकार के समक्ष प्रभावी रूप से उठाने, जन आंदोलनों के माध्यम से तथा संसद में जानता के मुद्दों को उठाकर सरकार को जनहित की नीतियाँ बनाने के लिए बाध्य कर सकता है।
- विपक्ष सरकार के समक्ष जनहित के लिए वैकल्पिक नीतियों और विचारों को प्रस्तुत कर सकता है उदाहरण स्वरूप डिजिटल गोपनीयता सुरक्षा बिल, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) गारंटी कानून, नई शिक्षा नीति पर पुनर्विचार आदि नीतियों पर विपक्ष ने सुझाव दिए।
- विपक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक संस्थाओं—न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स आदि की स्वतंत्रता की रक्षा करने और इनके स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकता है।
- विपक्ष आतंकवाद के मुद्दे पर सरकार के साथ एकजुट होकर सहयोग कर देश की सुरक्षा में अहम योगदान दे सकते हैं। वर्ष 2014 के बाद भारत में हुए आतंकी हमलों - पठानकोट हमला (2016), उरी हमला और सर्जिकल स्ट्राइक (2016), अमरनाथ यात्रा हमला (2017), पुलवामा हमला और बालाकोट स्ट्राइक (2019), पहलगाम हमला (2025) आदि के खिलाफ कार्यवाही में विपक्ष द्वारा सरकार के हर निर्णय का पूर्ण समर्थन किया।

आज देश में वर्तमान सरकार की प्रोएक्टिव नीतियों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की 'शॉफ्ट पॉवर' में वृद्धि होने के साथ देश के भीतर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और पर्यावरणीय विकास हुआ है। इस सतत् विकास एवं बेहतर भारत के निर्माण में आज जितना योगदान सत्तारूढ़ दल का माना जाएगा उतना ही महत्वपूर्ण योगदान विपक्ष का भी होना चाहिए। लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने कहा था कि लोकतंत्र केवल सरकार के बहुमत से नहीं चलता, बल्कि विपक्ष की सक्रियता से भी चलता है। विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र के संतुलन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। यह सरकार को निरंकुश होने से रोकने तथा जनता के मुद्दों को संसद में प्रभावी रूप से उठाने का कार्य करता है। आज सरकार की नीतियों व कार्यों की रचनात्मक आलोचना करना, सामाजिक कल्याण, जनहित से जुड़े मुद्दों को सरकार तक पहुँचाना, युवाओं के बेहतर भविष्य से जुड़े मुद्दों रोजगार, शिक्षा, आर्थिक सहायता, अवसर आदि को सरकार के समक्ष उठाना, किसानों से जुड़ी समस्याओं, गरीब एवं मध्यम वर्गों से जुड़ी समस्याओं और उनसे जुड़े मुद्दों को उठाना आदि के माध्यम से विपक्षी एक बेहतर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

निष्कर्ष

इस शोध पत्र के माध्यम से संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों और विपक्ष की भूमिका, स्वतंत्रता के बाद से वर्तमान तक भारत में विपक्ष की स्थिति का गहराई से विवेचन किया गया है। वर्ष 2014 के बाद भारतीय राजनीति में आए ऐतिहासिक बदलाव और सत्तारूढ़ भाजपा सरकार की नीति का भारतीय लोकतंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करते हुए इसके गंभीर परिणामों का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। इस शोध पत्र के माध्यम से लोकतंत्र को सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के साथ-साथ सरकार को जवाबदेही और पारदर्शी बनाने के लिए सशक्त विपक्ष की आवश्यकता और उसकी भूमिका का अध्ययन किया गया है। केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि एक मजबूत विपक्ष भी लोकतंत्र की सफलता का आधार होता है। एक बेहतर भारत के निर्माण के लिए एक सशक्त और सक्रिय विपक्ष का योगदान एवं उसके कार्य सरकार की नीतियों व कार्यों की रचनात्मक आलोचना, नीति

निर्माण में योगदान, लोकतांत्रिक संतुलन को बनाए रखना आदि अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. बैजहॉट, वॉल्टर, द इंग्लिश कॉंस्टीट्यूशन, चेपमैन एण्ड हॉल लंदन, 1867, पृ.सं. 248
2. डहल, रॉबर्ट, ए पॉलियार्की पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन, येल यूनिवर्सिटी प्रेस, 1971
3. मिल, जे.एस., ऑन लिबर्टी, जॉन डब्ल्यू पाकर एण्ड सन, लंदन, 1859, पृ.सं. 174
4. लिजफर्ड, अरेंड, पैटर्न ऑफ डेमोक्रेसी, येल यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999
5. बैजहॉट, वॉल्टर, द इंग्लिश कॉंस्टीट्यूशन, चेपमैन एण्ड हॉल लंदन, 1867, पृ.सं. 271
6. सारटोरी, जी., पार्टीज एण्ड पार्टी सिस्टम : ए फर्मवर्क फॉर एनालिसिस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क, पृ.सं. 181
7. फॉन्टाना, डेविड, गवर्नमेंट इन अपोजिशन, येल लॉ जनरल, वॉल्यूम 119, 2009
8. मंगलानी, रूपा, भारतीय शासन एवं राजनीति, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर, 2020, पृ.सं. 483
9. फड़िया, बी.एल., कुलदीप फड़िया, भारतीय शासन एव राजनीति, साहित्य भवन आगरा, 2020, पृ.सं. 399
10. मंगलानी, रूपा, भारतीय शासन एवं राजनीति, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर, 2020, पृ.सं. 476
11. जॉन्स, मॉरिस, इंडियन गवर्नमेंट एण्ड पॉलिटिक्स, पृ.सं. 148
12. मंगलानी, रूपा, भारतीय शासन एवं राजनीति, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर, 2020, पृ.सं. 488
13. फड़िया, बी.एल., कुलदीप फड़िया, भारतीय शासन एव राजनीति, साहित्य भवन आगरा, 2020, पृ.सं. 622
14. उपर्युक्त, पृ.सं. 200
15. उपर्युक्त, पृ.सं. 435